पत्र संख्या : 7ब / 2701 स्था०व्य० ज०सं०– 04 / 18..........06

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

डी०के० तिवारी
अपर मुंख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / रॉची / हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ0), जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड रॉची।

रॉची, दिनांक 12-04-18

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2701– मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2701–मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन / 06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	**4639.350**

कुल आवंटित राशि – **रुपये छियालीस करोड़ उन्चालीस लाख पैंतीस हजार मात्र**

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट उपबंध राशि ₹ 8354.05 लाख **(तिरासी करोड़ चौवन लाख पांच हजार मात्र)** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग का पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक–29/बी०टी०ई०–18/2014.–15/300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा ।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरूद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय।राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. **देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।**
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसंबर 2018** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (**http://www.wrdjharkhand.nic.in**) पर भी उपलब्ध है।
अनु॰ :– यथोक्त

(डी०के०तिवारी)
अपर मुंख्य सचिव

ज्ञापांक :– 06 रॉची, दिनांक :– 12-04-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू**, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु॰ :– यथोक्त

(डी०के०तिवारी)
अपर मुंख्य सचिव

ज्ञापांक :– 06 रॉची, दिनांक :– 12-04-18

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)	(रमेश कुमार दूबे)	(डी०के०तिवारी)
उप सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	अपर मुंख्य सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक 06 दिनांक 12-04-18 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2018–2019	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम	वेतन 49S270103001060101	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि 49S270103001060110	एल0टी0सी0 49S270103001060112	देशीय यात्रा व्यय 49S270103001060213	कार्यालय व्यय 49S270103001060315	किराया,दरें, कर 49S270103001060316	आपूर्ति एवं सामग्री 49S270103001060323	दूरभाष 49S270103001060333	वर्दी 49S270103001060334	विद्युत व्यय 49S270103001060337	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 49S270103001060442	विधि प्रभार 49S270103001060760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	48.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	49.200	
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	42.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	43.200	
3	औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	65.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	65.900	
4	कदवन बांध अंचल, गढ़वा	78.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	78.900	
5	जलपथ अंचल, गढ़वा	58.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	58.900	
6	रूपांकण आयोजन एवं मोनि0 अंचल , मेदिनीनगर	72.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	72.900	
7	अग्रिम योजना प्र0, पलामू	41.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	41.750	
8	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा	108.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	108.750	
9	आयोजन एवं मोनि0 प्रमंडल,मेदिनीनगर	128.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	128.700	
10	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी पलामू	113.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	113.450	
11	कदवन बॉध प्रमंडल ,नगर उॅटारी गढ़वा	119.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	119.750	
12	कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी	187.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	187.450	
13	कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर	158.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	158.700	
14	कोनार नहर प्रमंडल, बनासो	154.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	154.450	
15	गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर	109.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	109.700	
16	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	48.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	48.750	
17	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	187.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	187.750	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(डी0के0तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2018–2019	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम	वेतन 49S270103001060101	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि 49S270103001060110	एल0टी0सी0 49S270103001060112	देशीय यात्रा व्यय 49S270103001060213	कार्यालय व्यय 49S270103001060315	किराया,दरें, कर 49S270103001060316	आपूर्ति एवं सामग्री 49S270103001060323	दूरभाष 49S270103001060333	वर्दी 49S270103001060334	विद्युत व्यय 49S270103001060337	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 49S270103001060442	विधि प्रभार 49S270103001060760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	258.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	258.450	
19	जलपथ प्रमंडल, बरही	367.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	367.400	
20	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	228.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.100	228.800	
21	जलपथ प्रमंडल, रॉची	386.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	386.450	
22	जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर, पाटन	75.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	75.700	
23	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	222.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	222.750	
24	पुनर्वास पदा0 उ0 कोयल परियोजना, मंदिनीनगर	71.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	71.450	
25	यांत्रिक प्रमंडल, बनासो हजारीबाग	152.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	152.700	
26	रूपांकण एवं मोनि0 प्र0, हजारीबाग	31.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	31.450	
27	रूपांकण प्रमंडल सं.–1, मेदिनीनगर	206.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	206.200	
28	रूपांकण प्रमंडल सं.–2, मेदिनीनगर	239.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	239.450	
29	वित्त पदा0, स्वर्णरेखा परि0, जमशेदपुर	61.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	61.400	
30	विशेष भू–अर्जन पदा0उत्तर कोयल परि0 मेदिनीनगर	138.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	138.750	
31	सिंचाई प्रमंडल, बुंडू	305.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	305.450	
32	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर	164.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	164.750	
	आवंटन का योग	4618.000	0.000	0.000	6.400	6.800	0.000	0.000	1.250	0.000	0.000	6.800	0.100	4639.350	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

आवंटित राशि – रुपये छियालीस करोड़ उन्चालीस लाख पैंतीस हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव(अभि०)

06
12-04-18

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(डी०के०तिवारी)
अपर मुख्य सचिव